न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

उनवान ..... मुकदमा नं० .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/10/18	वकील प्रार्थी, वादी/अप्रार्थी, प्रतिवादी उप. पीठासीन अधिकारी ..... दिनांक 18/12/18 को पेश हो।	
18/12/18	वकील प्रार्थी, वादी/अप्रार्थी, प्रतिवादी उप. पीठासीन अधिकारी ..... दिनांक 26/3/19 को पेश हो।	
26/3/19	वकील प्रार्थी, वादी/अप्रार्थी, प्रतिवादी उप. पीठासीन अधिकारी ..... दिनांक 3/6/19 को पेश हो।	
3/6/19	वकील डिक्रीदार व उप्र/डिक्रीदार के वकील द्वारा बताया गया कि डिक्री की पालना पूर्ण में हो चुकी है। इसलिए डिक्रीदार वकील का पत्र के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। पत्र पर डिक्रीदार के वकील द्वारा डिक्री की पालना पूर्ण में होना बताने व पत्र के आगे कोई कार्यवाही नहीं चलने के आधार पर रिकवल फेसल अमल होकर नस्ती की जाकर पत्रावली को रिकवल बताई है।	Post. Press 3.6.19

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner